दिसम्बर, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 1991 (अग्रहायण 26, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख -

1. श्री ज्वाला प्रसाद उपाध्याय, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
2. श्री रामनाथ, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-40-88-वि.क.-पांच (75) दिनांक 24 अक्टूबर, 1991 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. 5-5-90-पन्द्रह-1, दिनांक 2 मई, 1990 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री मूलचन्द खण्डेलवाल, राज्य मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड भोपाल की 13 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1986-87 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री मूलचन्द खण्डेलवाल, राज्य मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 1988-89 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री कैलाश जोशी, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) (ए) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1987-88 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री मोतीलाल वोरा, ललित जैन, आरिफ अकील, सदस्य, इन्दौर में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के विरूद्ध हिंसक प्रदर्शन किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) चौधरी राकेश सिंह, डा. गोविन्द सिंह, श्री पूरन सिंह पलैया, सदस्य, भिण्ड एवं ग्वालियर जिले में किसानों को उर्वरक खाद न मिल पाने की ओर सहकारिता/कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री गोपीकृष्ण नेमा, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्दौर के शासकीय कैंसर अस्पताल की कोबाल्ट मशीन ठीक न हो पाने की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, छतरपुर जिले के रनगंवा बांध से सिंचाई हेतु पानी न मिल पाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री लक्ष्मीनारायण यादव, धीरेन्द्र सिंह "धीरू", सदस्य, सतना जिले के ग्राम महतेन निवासी एक व्यक्ति की थानेदार द्वारा पिटाई किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री रमाकान्त तिवारी, जगदम्बा प्रसाद निगम, रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के अनेक ग्रामों में डकैती की घटित घटनाओं की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) डा. गोविन्द सिंह, श्री गजराज सिंह सिकरवार, श्री रामानंद सिंह, सदस्य, छतरपुर में एक विधायक पर हुये हमले की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, पचमढ़ी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पत्नी की चिकित्सा के अभाव में हुई मृत्यु की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, सदस्य, होशंगाबाद के तवा बांध की उपनहरों से सिंचाई हेतु पानी न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री धनेश पटिला, डाऊराम रत्नाकर, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम तलेन की एक बालिका से बलात्कार किये जाने की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री सूबेदार सिंह, रामनिवास रावत, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम निरारा में एक व्यक्ति का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री मोतीलाल वोरा, सदस्य, दुर्ग शहर में अतिक्रमण के नाम पर वैध कब्जो की तोड़फोड़ किये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) चौधरी राकेश सिंह, डा. गोविन्द सिंह, श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डे, सदस्य, भिण्ड के एक न्यायाधीश पर अदालत में हुये हमले की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.